न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 215 **दायर दिनांक : 12.11.2014**

1. जंगीर कौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री कत्था सिंह जाति मजबी निवासी चक 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर।
2. मलकीत कौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री सुखवन्त सिंह जाति मजबी निवासी चक 49 आर.बी. तहसील पदमपुर।
3. हरपालकौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री तारा सिंह जाति मजबी निवासी ज्यालकी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.....वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री श्री भाग सिंह (फौत)

1/1. पप्पू सिंह पुत्र लक्ष्मी पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री महंगा सिंह जाति मजबी निवासी चक 19 ए.एस. रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़।

1/2. भोला सिंह
1/3. दर्शन सिंह
1/4. रानी
1/5. काटी
} पुत्र/पुत्रीयान लक्ष्मी पत्नी श्री महंगा सिंह जाति मजबी निवासी चक 19 ए.एस. रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़।

2. जग्गा सिंह (फौत)

2/1. नसीब कौर पत्नी श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति मजबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।

2/2. पाल सिंह
2/3. काका सिंह
2/4. लीलू सिंह
2/5. वीरपाल
} पुत्र/पुत्री श्री जग्गा सिंह जाति मजबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।

3. सुखदेव सिंह
4. इन्द्र सिंह
5. बलविन्द्र सिंह
} पुत्र श्री भाग सिंह जाति मजबी निवासी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़।

6. परमजीत कौर (फौत) उर्फ इकबाल कौर

6/1. जसकरण सिंह पुत्र श्री परमजीत कौर पत्नी श्री रूप सिंह जाति मजबी निवासी ज्यालकी, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 व 209 आर.टी.ए. 1955

उपस्थितः

1. श्री अशोक कुमार छाबड़ा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3, 5
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय **दिनांक : 13.12.2019**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है की वादीगण द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 व 209 आर.टी.ए. में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 11 एस.डी. के खाता सं. 89 के प.न.

लगातार 2 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

109/392 का कि.न. 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.277 है. व प.न. 108/392 का कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है. कुल 3.036 है. भूमि मृतक भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह जाति मजबी सा. देह पु.आ. दर्ज कागजात है जो कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 से साबित है। मृतक भाग सिंह के नाम की अंकित भूमि जो कि चक 11 एस.डी. के खाता सं. 89 में 3.036 है. दर्ज कागजात है में वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक रूप से प्रत्येक हिस्सेदार का 1/9 हिस्सा बनता है। भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह का देहान्त दिनांक 17.09.1992 को हो चुका है। मृतक भाग सिंह के वारिसान में लक्ष्मी देवी, जग्गा सिंह, परमजीत कौर उर्फ इकबाल कौर का देहान्त हो चुका है इसलिये इनके वारिसान को फरीक मुकदमा बनाया गया है। वादीगण का उक्त भूमि में 1/9, 1/9 प्रत्येक का हक व हिस्सा बनता है जिसे जरिय घोषणात्मक वाद पत्र राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने के हकदार है व उक्त हिस्सेनुसार भूमि दर्ज की जावें। वादीगण द्वारा यह भी निवेदन किया की प्रतिवादी सं. 1 ता 6 उक्त भूमि में से उनके हिस्सा की भूमि का कब्जा देने की बाबत कहा तो दिनांक 30.10.2014 को इन्कार हो गये, वादीगण को उनके हिस्सा में आने वाली से प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित करते हुये 3/9 हिस्सा की भूमि से बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें तथा Fruit Of the Land दिलाने के आदेश फरमावें व प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जावें कि वादान्तर्गत भूमि को किसी प्रकार से रहन बैय नहीं करें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया प्रतिवादी सं. 2/1 से 2/3, 2/5, 3 ता 5 पर नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये, प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/3 व 1/5 की ओर से भगवानदत्त शर्मा एड्वोकेट उपस्थित हुये व प्रतिवादी सं. 2/1 व 3 ता 5 के अभिभाषक दीपक मोदी द्वारा दिनांक 18.08.2015 को No Instructions प्रस्तुत किया। दिनांक 06.10.2015 को प्रतिवादी सं. 1/4 व 6/1 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस के भी हाजिर नहीं आने पर दिनांक 06.11.2015 को उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

लगातार 3 पर.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

दिनांक 24.04.2018 को प्रतिवादी सं. 1/1 से 1/3 व 1/5 द्वारा व प्रतिवादी सं. 7 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत न करने पर जवाबदावा बंद कर दिया गया। प्रतिवादीगण में से किसी भी पक्षकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत न होने के कारण तनकीयात् कायम नहीं की गई व वादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से शपथ पत्र दिनांक 16.10.2018 को शामिल मिसल किये गये। वाद पत्र के समर्थन में राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चक 11 एस.डी. सम्वत् 2068 ता 71 प्रस्तुत की व भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत 13 एस.डी. द्वारा जारी प्रार्थना व एक शपथ पत्र हरपाल कौर की फोटो प्रति पेश की जिसका की प्रतिवादीगण में से किसी भी पक्षकार द्वारा एतराज नहीं किया गया।

वकील वादी की इकतरफा बहस सुनी गई जिसमें उन्होनें वादान्तर्गत भूमि भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह के नाम चक 11 एस.डी. के खाता सं. 89 के प.न. 109/392 का कि.न. 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.277 है. व प.न. 108/392 का कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है. कुल 3.036 है. भूमि पु. आवंटन दर्ज होनी बतायी व उक्त भूमि में वादीगण सं. 1 ता 3 का पृथक–पृथक रूप से 1/9, 1/9 हिस्सा बनता है जिसे वे जरिये घोषणात्मक वाद पत्र प्राप्त करने व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के हकदार है वादीगण के हिस्सा की भूमि पर प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 का जबरन कब्जा है व वादीगण के हिस्सा की भूमि पर अतिकमी की तारीफ में आते है जिसे वे बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने की हकदार है व Fruit Of the Land प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादीगण के हिस्से की भूमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा करने व फसल का फायदा उठाने का कतई अधिकार नहीं है। अभिभाषक वादीगण द्वारा यह भी निवेदन किया की वादीगण के हिस्सा की भूमि को प्रतिवादीगण किसी प्रकार से रहन, बैय, खुर्द–बुर्द नहीं करें चिरस्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबंध किया जावें, वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया वकील वादीगण की ओर से बहस बिन्दुओं का अध्ययन व मनन् किया व यह पाया की वादान्तर्गत भूमि वाके चक 11 एस.डी. के खाता सं. 89 के प.न. 109/392 का कि.न. 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.277 है. व प.न. 108/392 का कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है. कुल 3.036 है.

लगातार 4 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

भूमि पु. आवंटन वादीगण के पिता भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह जाति मजबी निवासी चक 11 एस.डी. के नाम से अंकित है व राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत् 2068 ता 71 के खाता सं 89/79 से साबित है। भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान में वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 है जिन्हें जरिये नोटिस तलब किये जाने के पश्चात भी किसी भी पक्षकार द्वारा ना तो जवाबदावा प्रस्तुत किया वा ना ही कोई एतराज प्रस्तुत किया, इसके अलावा प्रतिवादीगण में से किसी भी पक्षकार द्वारा साक्ष्य/शपथ पत्र द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण मृतक भाग सिंह पुत्र श्री रोडू सिंह के नाम अंकित भूमि में बतौर वारिस होने के कारण पृथक–पृथक रूप से 1/9, 1/9 हिस्सा प्राप्त करने की हकदार है व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत भी लड़कियों का हक व हिस्सा बनता है जिसे वे प्राप्त करने की कानूनन हकदार है, प्रतिवादी सं. 1 ता 6 को अपने हिस्सा से अधिक भूमि पर कब्जा करने व काश्त करने का कतई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण को वादीगण के 3/9 हिस्सा पर अतिक्रमी होने से बेदखल करने के आदेश पारित किये जाते है वादीगण को 3/9 हिस्सा की भूमि पर भाग सिंह के स्थान पर गैर खातेदार पुख्ता आवंटिती घोषित किया जाता है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश भी दिये जाते है प्रतिवादीगण को कुल भूमि 3.036 है. में से 3/9 हिस्सा पर अतिक्रमी घोषित कर मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा शास्ति कायम करने के आदेश भी दिये जाते है की प्रतिवादीगण से उक्त राशि सन् 2014 से 2019 तक की वसूल कर वादीगण को दिलाई जाने के भी आदेश पारित किये जाते है। डिक्री जारी हो हुक्म सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक जिलाधीश एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. जंगीर कौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री कत्था सिंह जाति मजबी निवासी चक 58 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर।
2. मलकीत कौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री सुखवन्त सिंह जाति मजबी निवासी चक 49 आर.बी. तहसील पदमपुर।
3. हरपालकौर पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री तारा सिंह जाति मजबी निवासी ज्यालकी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.....वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मी पुत्री श्री भाग सिंह (फौतद्व
1/1. पप्पू सिंह पुत्र लक्ष्मी पुत्री श्री भाग सिंह पत्नी श्री महंगा सिंह जाति मजबी निवासी चक 19 ए.एस. रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़।
1/2. भोला सिंह
1/3. दर्शन सिंह
1/4. रानी
1/5. काटी
} पुत्र/पुत्रीयान लक्ष्मी पत्नी श्री महंगा सिंह जाति मजबी निवासी चक 19 ए.एस. रामसिंहपुर तहसील अनूपगढ़।
2. जग्गा सिंह (फौत)
2/1. नसीब कौर पत्नी श्री जग्गा सिंह पुत्र श्री भाग सिंह जाति मजबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।
2/2. पाल सिंह
2/3. काका सिंह
2/4. लीलू सिंह
2/5. वीरपाल
} पुत्र/पुत्री श्री जग्गा सिंह जाति मजबी निवासी जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ़।
3. सुखदेव सिंह
4. इन्द्र सिंह
5. बलविन्द्र सिंह
} पुत्र श्री भाग सिंह जाति मजबी निवासी चक 11 एस.डी. तहसील सूरतगढ़।
6. परमजीत कौर (फौत) उर्फ इकबाल कौर
6/1. जसकरण सिंह पुत्र श्री परमजीत कौर पत्नी श्री रूप सिंह जाति मजबी निवासी ज्यालकी, गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा न. 215 वर्ष 2014 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर वकील वादीगण श्री अशोक कुमार छाबड़ा व वकील प्रतिवादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/3, 5 व पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वाद वादी स्वीकार करते हुये भूमि वाके चक 11 एस.डी. के खाता सं. 89 के प.न. 109/392 का कि.न. 13 ता 18, 23 ता 25 में 2.277 है. व प.न. 108/392 का कि.न. 11, 20, 21 में 0.759 है. कुल 3.036 है. में से वादीगण को अंकित काश्तकार भाग सिंह के स्थान पर 3/9 हिस्से का गैर खातेदार का�तकार घोशित किया जाता है 3/9 से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है, और प्रतिवादीगण को अतिचारी घोशित कर मालकाना मालगुजारी का 50 गुणा तावान कायम कर वादीगण को दिलाये जाने के आदे�ा दिये जाते है खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करेंगें।

नोज.......×......... मुबलिग ....×......... बाबत ....×......... खर्चा ....×......... इस मुकदमें में मय सूद बशरह ....×......... फसदों की पालना ....×......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 13.12.2019 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.17 17:53:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: